

## मुस्लिम महलियों को भरण-पोषण का अधिकार

### प्रलिमिस के लिये:

तलाकशुदा मुस्लिम महलियों को भरण-पोषण का अधिकार, [सर्वोच्च न्यायालय, आपराधिक प्रक्रिया संहिता \(CrPC\), मुस्लिम सत्री \(विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण\) अधनियम, 1986](#)

### मेन्स के लिये:

तलाकशुदा मुस्लिम महलियों को भरण-पोषण का अधिकार, सरकारी नीतियाँ और वभिन्न क्षेत्रों में वकिस के लिये हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

**स्रोत: द हट्टि**

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने यह जाँचने का फैसला किया है कि क्या एक तलाकशुदा मुस्लिम महली अपने पूर्व पति के खिलाफ [आपराधिक प्रक्रिया संहिता \(CrPC\)](#) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है, जिससे यह बहस फरि से शुरू हो गई है कि क्या धर्मनियेक्ष कानूनों को अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों पर प्राथमिकता दी जानी चाहयि।

- यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी पूर्व पत्नी को अंतरमि गुज़ारा भत्ता देने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के निरिदेश को चुनौती दी।
- तरक दिया गया है कि इस मामले में भरण-पोषण CrPC की धारा 125 पर प्रचलित [मुस्लिम सत्री \(विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण\) अधनियम, 1986](#) (1986 अधनियम) के प्रावधानों द्वारा शास्ति होगा।

### मुस्लिम सत्री अधनियम, 1986 कैसे वकिसति हुआ है?

- 1986 से पहले: CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण:
  - [मुस्लिम सत्री \(विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण\) अधनियम, 1986](#) के अधनियमन से पहले, मुस्लिम महलियों अन्य समुदायों की महलियों की तरह आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग कर सकती थी।
  - मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, 1985 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से इसकी पुष्टि हुई।
- 1986 अधनियम:
  - शाह बानो मामले के जवाब में, भारतीय संसद ने मुस्लिम महली (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधनियम बनाया, जिससे तलाकशुदा मुस्लिम महलियों को भरण-पोषण का दावा करने के लिये एक विशिष्ट तंत्र प्रदान किया गया।
  - इसने भरण-पोषण की अवधि को इददत अवधि तक सीमित कर दिया और राशिको महली को दिये जाने वाले मेहर या दहेज से जोड़ दिया।
    - इददत एक अवधि है, आमतौर पर तीन महीने की, जिसे एक महली को अपने पति की मृत्यु या तलाक के बाद पुनर्विवाह करने से पहले पालन करना होता है।
- डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ मामला, 2001:
  - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1986 के अधनियम की संवैधानिकी के बरकरार रखा लेकिन मुस्लिम महली के पुनर्विवाह तक भरण-पोषण पाने का अधिकार बढ़ा दिया। हालाँकि इसने भरण-पोषण की अवधि को घटाकर इददत पूरा करने तक कर दिया।
- वर्ष 2009:
  - वर्ष 2009 में सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि तलाकशुदा मुस्लिम महली CrPC की धारा 125 के तहत इददत अवधि के बाद भी गुज़ारा भत्ता का दावा कर सकती है, जब तक कि वे पुनर्विवाह नहीं करती हैं।
  - इसने इस संदिधान की पुष्टि की कि CrPC प्रावधान कसी भी धर्म पर लागू होता है।
- वर्ष 2019:
  - पटना उच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि तलाकशुदा मुस्लिम महलियों के पास CrPC की धारा 125 और वर्ष 1986 अधनियम दोनों के तहत गुज़ारा भत्ता मांगने का वकिलप है।

- यह दोनों कानूनों की समवर्ती प्रयोज्यता को रेखांकित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि मुस्लिम महलिएँ कसी भी प्रावधान के तहत अपने अधिकारों से बचते न हों।
- वर्तमान मामला:
  - वर्तमान मामले में अपीलकर्ता की अपील शामलि है, जिसकी पूरव पत्ती ने हैदराबाद में एक पारविराकि न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने उसे तलाक दिया था और साथ ही CrPC की धारा 125 के तहत मासकि रखरखाव का दावा किया था।
  - पत्तीने तरक्क दिया कि मुस्लिम महलिएँ अधिनियम, 1986 के प्रावधान, एक वशीष कानून होने के कारण CrPC की धारा 125 पर प्रभावी होंगे।
    - उन्होंने तरक्क दिया कि पारविराकि न्यायालय के समक्ष राहत की मांग नहीं की जा सकती क्योंकि वर्ष 1986 का अधिनियम प्रथम शरणी मजसिदरेट को महर तथा अन्य नरिवाह के मुद्दे पर निश्चय लेने का अधिकार क्षेत्र परदान करता है।
    - उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पत्ती ने वर्ष 1986 अधिनियम की तुलना में CrPC प्रावधानों के लिये अपनी प्राथमिकता बताते हुए मजसिदरेट के समक्ष कोई हलफनामा दायर नहीं किया, जैसा कि बाद की धारा 5 के अनुसार आवश्यक था।

## मुस्लिम महलिएँ (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019:

- एक मुस्लिम महलिएँ जिसे उसके पत्तीने तलाक कहकर तलाक दे दिया है, वह [मुस्लिम महलिएँ \(विवाह पर अधिकार संरक्षण\) अधिनियम 2019](#) के तहत भरण-पोषण भत्ता मांग सकती है।
  - यह अधिनियम एक मुस्लिम पत्तदिवारा अपनी पत्ती को मौखिक, लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में या कसी भी अन्य तरीके से तलाक की कसी भी घोषणा को शून्य एवं अवैध घोषित करता है।
  - यह अधिनियम एक वशीष कानून है जो आपराधिक प्रक्रिया संहति, 1973 की धारा 125 के प्रावधानों को समाप्त करता है, जो पत्तीनियों, बच्चों तथा माता-पति के भरण-पोषण से संबंधित है।
    - हालांकि एक तलाकशुदा मुस्लिम महलिएँ, अधिनियम द्वारा शास्ति नहीं होने और कसी अन्य कानून या रवाज़ के तहत उपलब्ध अन्य उपायों का वकिलप चुन सकती है।

## मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की टपिपणियाँ क्या हैं?

- वर्ष 1986 अधिनियम की धारा 3 की व्याख्या:
  - न्यायालय के अनुसार वर्ष 1986 के अधिनियम की धारा 3 में एक गैर-अस्पष्ट खंड है (तत्समय लागू कसी भी अन्य कानून में कुछ भी शामलि होने के बावजूद) यह दर्शाता है कि यह CrPC की धारा 125 जैसे अन्य कानूनों के तहत वैकल्पिक उपचारों पर रोक नहीं लगाता है।
- एमकिस क्यूरे/न्याय मतिर प्रस्तुतीकरण:
  - एमकिस क्यूरे/न्याय मतिर ने न्यायालय की टपिपणी से सहमतवियक्त की और इस बात पर एक अधिकारकि घोषणा की आवश्यकता पर ज़ोर दिया कि वर्ष 1986 का अधिनियम CrPC की धारा 125 के तहत अधिकार को समाप्त कर देता है।
    - एमकिस क्यूरे/न्याय मतिर वह व्यक्तिया संस्था है जो मामले में पक्षकार नहीं है लेकिन न्यायालय को निश्चय लेने में सहायता करने के लिये वशीषज्ञता या जानकारी प्रदान करता है।
- संवैधानिक सदिधांत:
  - न्यायाधीशों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्ष 1986 के अधिनियम की व्याख्या यह सुनिश्चित करने के लिये की जानी चाहयि कि तलाकशुदा मुस्लिम महलिएँ देश में अन्य तलाकशुदा महलिओं के लिये उपलब्ध सभी भरण-पोषण के अधिकारों की हकदार हैं।
  - उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मुस्लिम तलाकशुदा महलिओं के साथ कम अनुकूल/प्रतिकूल व्यवहार करना अनुच्छेद 14, 15 और 21 सहति संवैधानिक सदिधांतों का उल्लंघन होगा।
- विधायी आशय:
  - याचिकाकरता के इस तरक्क को खारज़ि करते हुए कविर्ष 1986 के अधिनियम का उद्देश्य मुस्लिम महलिओं को CrPC की धारा 125 के तहत राहत की मांग करने से रोकना था, न्यायालय ने कहा कि यह विधायी आशय था, तो अधिनियम में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया होगा।
  - ऐसी स्पष्ट भाषा की अनुपस्थितिका अर्थ है कि मुस्लिम महलिओं पर धारा 125 के तहत राहत की मांग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

## संबंधित पूर्व न्यायकि उदाहरण क्या हैं?

- अरशया रज़िवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला, 2022, रज़या बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला, 2022 और शकीला खातून बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला, 2023 जैसे फैसलों में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महलिएँ के दावे के अधिकार की पुष्टिकी है कि इददत अवधिपूरी होने के बाद भी CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण/नरिवहन का प्रावधान है, जब तक कविर्ष विवाह/निकाह नहीं कर लेती।
- मुजीब रहमान बनाम तस्लीना मामले, 2022 में केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने निश्चय किया कि 1986 अधिनियम की धारा 3 के तहत

अनुतोष प्राप्त न होने तक एक विचारिता विवाह/तलाकशुदा मुस्लिम महिला CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग कर सकती है।

◦ यह आदेश तब तक करयान्वित रहता है जब तक कीधारा 3 के तहत संबद्ध व्यक्तिद्वारा देय राशिका भुगतान नहीं कर दिया जाता।

- **नौशाद फ्लोरशि बनाम अखलिया नौशाद, केस 2023** में केरल उच्च न्यायालय ने नरिण्य किया करिएक मुस्लिम पत्नी जसिने खुला (पत्नी के कहने पर और उसकी सहमतिसे तलाक) की घोषणा करके तलाक लिया था, वह CrPC की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती है।

◦ CrPC की धारा 125(4) के अनुसार, एक पत्नी की अपने पति के साथ रहने की अनचिछा अनविार्य रूप से उससे मुक्त होने के लिये खुला के माध्यम से तलाक के लिये दाखिल करने के समान है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विवित वर्ष के प्रश्न

### प्रश्न:

प्रश्न: भारत के संवधान का कौन-सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्तिसे विवाह करने के कसी व्यक्तिके अधिकार को संरक्षण देता है? (2019)

- (a) अनुच्छेद 19
- (b) अनुच्छेद 21
- (c) अनुच्छेद 25
- (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- विवाह का अधिकार भारत के संवधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक घटक है, जिसमें कहा गया है कि "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा कसी भी व्यक्तिको उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा"।
- लाता सहि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में वर्ष 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संवधान के अनुच्छेद 21 के तहत विवाह के अधिकार को जीवन के अधिकार के एक घटक के रूप में देखा।

अतः वकिलप (b) सही उत्तर है।

### प्रश्न:

प्रश्न: रीत-रिवाजों एवं परंपराओं द्वारा तरक्क को दबाने से प्रगतिविरोध उत्पन्न हुआ है। क्या आप इससे सहमत हैं? (2020)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/right-to-maintenance-of-muslim-women>